सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 61 राँची , बुधवार

15 माघ 1936 (श०)

4 फरवरी, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

28 अगस्त, 2014

संख्या-4/न0वि0/नियमावली/101/2014- 3877(अनू.)-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-590 (1) एवं 30 (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा ''झारखण्ड नगरपालिका (उपमहापौर/उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संचालन प्रक्रिया) नियमावली-2014'' अधिसूचित करते है ।

यह नियमावली अधिसूचना निर्गत की तिथि से राज्य में प्रभावी होगी ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड नगरपालिका (उपमहापौर/उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संचालन प्रक्रिया) नियमावली, 2014

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की धारा 590 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-30 (5) के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका (उपमहापौर/उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संचालन प्रक्रिया) नियमावली, 2014 विनियमित करते हैं।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ -

(क) यह नियमावली "झारखण्ड नगरपालिका (उपमहापौर/उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संचालन प्रक्रिया) नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।

(ख) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ -

इस नियमावली मे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) ;

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की संगत धारा ;

(ग) "उपमहापौर" से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत् नगर निगम के संदर्भ में उपमहापौर ;

(घ) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत् नगर परिषद एवं नगर पंचायत के संदर्भ में उपाध्यक्ष ;

(ङ) "नगर आयुक्त" से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-55 (1) (क) के अधीन सरकार द्वारा नगर निगम के लिए नियुक्त नगर आयुक्त ;

(च) "कार्यपालक पदाधिकारी" से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-55(1) (ख)(क) के अधीन सरकार द्वारा नगर परिषद या नगर पंचायत के लिए नियुक्त कार्यपालक पदाधिकारी ;

(छ) "विभाग" से अभिप्रेत है नगर विकास विभाग ;

(ज) "सरकार"/"राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ;

(झ) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र ;

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और शब्द विन्याशों के वही अर्थ होंगे जो झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 में उनके लिए परिभाषित किये गए हैं।

3. अविश्वास प्रस्ताव संचालन प्रक्रिया -

(1) नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद, यथास्थिति, किसी नगर निगम का उपमहापौर तथा नगर परिषद या नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है ।

परन्तु यह कि उपमहापौर/उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव वैसी परिस्थिति में ही लायी जा सकेगी जब वह उपमहापौर/उपाध्यक्ष अधिनियम की धारा 32 के अध्यधीन महापौर/अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन तथा कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो।

(2) (क) अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के इच्छुक पार्षदों के द्वारा इसकी विधिवत सूचना संलग्न प्रपत्र-1 के भाग-"क" में नगर निगम के मामले में नगर आयुक्त (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी) एवं नगर परिषद/नगर पंचायत के मामले में कार्यपालक पदाधिकारी को देगा;

(ख) अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने पर नगर निगम का नगर आयुक्त, नगर परिषद /नगर पंचायत का कार्यपालक पदाधिकारी, यथास्थिति चुनाव याचिका नियमावली के उपनियम 3(2)(क) के तहत् अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले पार्षदों को सूचना प्राप्त होने की पावती रसीद प्रपत्र-1 के भाग-"ख" में देगा।

(3) अविश्वास प्रस्ताव प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून पार्षदों (प्रस्तावक सहित) द्वारा हस्ताक्षरित एवं समर्थित हो।

(4) नगर निगम के उपमहापौर तथा नगर परिषद/नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के विरूद्ध पेश अविश्वास प्रस्ताव का पीठासीन पदाधिकारी उस जिला का उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगा।

(5) उपनियम (2)(क) के अधीन अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने पर नगर निगम का नगर आयुक्त, नगर परिषद/नगर पंचायत का कार्यपालक पदाधिकारी यथास्थिति नगर निगम, नगर परिषद/नगर पंचायत के लिए उपनियम 3(4) में निहित प्रावधानानुसार पीठासीन पदाधिकारी को लिखित में उसी दिन सूचना देगा।

(6) नगर निगम के उपमहापौर, नगर परिषद/नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने की पावती रसीद देने के पश्चात् उस नगर निगम, नगर परिषद/नगर पंचायत की अन्य बैठक उस समय तक आहूत नहीं की जायेगी जबतक अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा विशेष बैठक आहूत नहीं कर ली जाती है अर्थात् अविश्वास प्रस्ताव का समाधान नहीं हो जाता है।

(7) नगर निगम, नगर परिषद/नगर पंचायत के लिए प्राधिकृत पीठासीन पदाधिकारी अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने पर उसकी ग्राह्यता के संबंध में प्रपत्र-1 के भाग-"क" में अंकित अविश्वास प्रस्ताव के आधारों के संबंध में अपना स्पष्ट मंतव्य व्यक्त करेगा और समाधान हो जाने पर वह यथास्थिति नगर निगम, नगर परिषद/नगर पंचायत के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान हेतु विशेष बैठक के लिए तिथि, समय तथा स्थान निर्धारित करेगा।

(8) नगर निगम, नगर परिषद/नगर पंचायत का पीठासीन पदाधिकारी यथास्थिति सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान हेतु विशेष बैठक का आयोजन सुनिश्चित करेगा ;

परन्तु इस बैठक हेतु प्रत्येक पार्षद को, बैठक आयोजित करने की निर्धारित तिथि से कम-से-कम सात पूरे दिन पहले पीठासीन पदाधिकारी द्वारा नियमावली के प्रपत्र-2 में सूचना तामिला/हस्तगत कराया जाएगा एवं उसकी पावती रसीद सुरक्षित रखी जाएगी।

(9) जिस उपमहापौर/उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जायेगा, उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(10) अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में स्थगित नहीं की जाएगी, भले ही अपेक्षित पार्षदों की संख्या के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव गिर जाय।

(11) नियत तिथि, समय तथा स्थान पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान हेतु बुलायी गई विशेष बैठक में पेश अविश्वास प्रस्ताव पर यथासंभव पार्षदों को पीठासीन पदाधिकारी की अनुमति से अपना विचार रखने की स्वतंत्रता होगी। उपमहापौर/उपाध्यक्ष को भी बैठक में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होगा:

परन्तु पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कोई असंसदीय भाषा/कथनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(12) अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो जाने के पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी बैठक में उपस्थित पार्षदों को जो मतदान करना चाहें, एक-एक करके बुलाएगा एवं उन्हें मतपत्र के पीछे निम्न भाग में अपने सम्यक् हस्ताक्षर व मुहर द्वारा उसकी प्रमाणिकता उल्लिखित करते हुए प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मत डालने के लिए मतपत्र जो प्रपत्र-3 में होगा, उपलब्ध कराएगा:

परन्तु मतपत्रों पर कोई क्रम संख्या या कोई अन्य चिन्ह् अंकित या मुद्रित नहीं करेगा।

(13) पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उस स्थान पर जहाँ विशेष बैठक हो रही है, एक मतदान कम्पार्टमेंट इस प्रकार स्थापित किया जाएगा कि पार्षद उसके अन्दर जाकर, मतपत्र पर, प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मत दे रहा है, यह किसी को दृष्टिगोचर नहीं हो।

(14) पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अपने टेबुल पर एक मतपेटी रखी जाएगी, जिसे मतदान शुरू होने से पहले सभी पार्षदों को उलट-पुलट कर दिखाया जाएगा कि मतपेटी खाली है। तत्पश्चात् उस पर उचित रीति से सील किया जायेगा, ताकि उसमें मतपत्र डालने वाला छिद्र खुला रहे।

(15) जो पार्षद प्रस्ताव के पक्ष में मत देना चाहेंगे उन्हें ( ) सही का चिन्ह लगाना होगा तथा वैसे पार्षद जो प्रस्ताव के विपक्ष में मत देना चाहे उन्हें (×) क्रॉस का चिन्ह लगाना होगा।

(16) (क) मतपत्र पर पक्ष या विपक्ष में जो चिन्ह् लगाया जाएगा, वह नीली स्याही वाली एक ही बा ॅल पेन जो मतदान कम्पार्टमेंट में पूर्व से ही रखा रहेगा, से लगाया जाएगा ताकि स्याही की एकरूपता बनी रहे।

(ख) मतपत्र पर पक्ष या विपक्ष में यथास्थिति चिन्ह् लगाने के पश्चात् प्रत्येक पार्षद अपने मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिए मतपत्र को मोड़ेगा एवं पीठासीन पदाधिकारी के टेबुल पर रखी गई मतपेटी में डालेगा।

(17) मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले उपस्थित सभी पार्षदों को मतदान प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

(18) पार्षद अपने मताधिकार का प्रयोग करने या नहीं करने हेतु स्वतंत्र होंगे। यदि कोई पार्षद अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहे तो उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

(19) विशेष बैठक में उपस्थित सभी पार्षदों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिए जाने के पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी द्वारा तत्काल मतदान प्रक्रिया समाप्त होने की घोषणा की जाएगी।

(20) मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के तुरंत बाद पीठासीन पदाधिकारी सभी पार्षदों की उपस्थिति में जो उपस्थित हों, मतपेटी खोलेगा, उसमें से मतपत्र निकालेगा, एवं उनकी विधिमान्यता की संवीक्षा करेगा, उनकी गणना करेगा तथा उनकी संख्या का विवरण अभिलिखित कर पक्ष/विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या घोषित करेगा। तत्पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी उसी बैठक में यथास्थिति यह भी घोषणा करेगा कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है या निरस्त हो गया है।

(21) यदि मतों की गणना के पश्चात् कोई पार्षद पुनः गणना का अनुरोध करता है तो उसे तुरंत स्वीकार कर उपस्थित सभी पार्षदों के समक्ष पुनः गणना करा दी जाएगी। परन्तु तीसरी पुनर्गणना का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(22) इस बैठक की कार्यवाहियों का विडियो रिकार्डिंग के अलावा कार्यवृतों को पीठासीन पदाधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा और उसे नगर निगम, नगर परिषद/नगर पंचायत में यथास्थिति रखी गई कार्यवृत पुस्तक में दर्ज करेगा और अन्त में अपना हस्ताक्षर करेगा।

(23) पीठासीन पदाधिकारी नगर निगम, नगर परिषद/नगर पंचायत के कार्यालय में यथास्थिति सम्यक् रूप से सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत, वीडियो रिकार्डिंग और व्यवहृत मतपत्रों को सीलबन्द करके एक वर्ष की कालावधि तक सुरक्षित रखेगा। परन्तु इस मामले में न्यायालय में कोई वाद उत्पन्न होता है तो उसके निष्पादन की तिथि तक सभी अभिलेख सुरक्षित रहेगा।

(24) कार्यवृत में -

(क) अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान हेतु बैठक की तिथि, स्थान एवं समय ;

(ख) पीठासीन पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा बैठक में उपस्थित पार्षदों के नाम व हस्ताक्षर एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ;

(ग) अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा में भाग लेने वाले पार्षदों के विचारों का उल्लेख होगा ;

(घ) प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष या तटस्थ मतों की संख्या का उल्लेख होगा ;

(ङ) अविश्वास प्रस्ताव पर पीठासीन पदाधिकारी का विनिश्चयन का उल्लेख होगा।

(25) पीठासीन पदाधिकारी, यथास्थिति, किसी नगर निगम, नगर परिषद/नगर पंचायत के उपमहापौर/उपाध्यक्ष के विरूद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव की सूचना सचिव, नगर विकास विभाग/राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। इस प्रकार नगर निगम, नगर परिषद/नगर पंचायत में उपमहापौर/उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पुनः निर्वाचन की कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

4. नगर निगम, नगर परिषद/नगर पंचायत के उपमहापौर/उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव -

(1) यदि विशेष बैठक में पार्षदों की सम्पूर्ण संख्या के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो उपमहापौर/उपाध्यक्ष तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह पायेगा एवं पीठासीन पदाधिकारी द्वारा नियम 3 के उपनियम (20) के तहत् विनिश्चयन की एक प्रति उसे तामिला करा दी जाएगी एवं उसकी पावती रसीद प्राप्त कर ली जाएगी।

(2) कोई उपमहापौर या उपाध्यक्ष अपने विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हेतु बुलाई गई विशेष बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा बल्कि बैठक की अध्यक्षता पीठासीन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी:

परन्तु उपमहापौर या उपाध्यक्ष को बैठक में बोलने तथा अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा ।

(3) किसी उपमहापौर या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव निम्न शर्तो के अधीन पेश की जा सकेगी -

(क) उसके पद ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा ;

(ख) उसके पदावधि की समाप्ति की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा ;

(ग) पूर्व के अविश्वास प्रस्ताव के नामंजूर किये जाने की तिथि के दो वर्ष के भीतर पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

(घ) अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित वाद किसी सक्षम न्यायालय से लंबित रहने पर भी दुबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।

5. निरसन एवं व्यावृति -

इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से, इस संबंध में पूर्व के समस्त नियमावली निरसित हो जायेंगे। परन्तु पूर्व के नियमावली के अधीन की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अन्तर्गत की गयी कार्रवाई समझी जायेगी।

6. कठिनाईयों के निवारण की शक्ति -

इस नियमावली के प्रावधानों के प्रभाव में आने के उपरान्त अथवा उसके कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होता है तो राज्य सरकार, विधि के अनुरूप, उस कठिनाई के निराकरण हेतु आदेश या अधिसूचना द्वारा उसे दूर कर सकेगी।

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

प्रपत्र-1

भाग-"क"

(नियम 3(2)(क) देखिए)

अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

सेवा में,

नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत .....

हम नगर निगम ..... के उपमहापौर,

नगर परिषद/नगर पंचायत ..... के उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने का आशय रखते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव के आधार निम्न हैं:

1. .....
2. .....
3. .....

प्रस्तावक का पूरा नाम एवं
हस्ताक्षर
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
.....

(जो लागू न हो उसे काट दिया जाए)

एक-तिहाई पार्षदों का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर जो प्रस्ताव के समर्थक हैं:

	पूरा नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	हस्ताक्षर
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....

स्थान:

तिथि:

प्रपत्र-1

भाग-"ख"

(नियम 3(2)(ख) देखिए)

पावती रसीद

आज दिनांक ..... को ..... नगर निगम के

उपमहापौर/..... नगर परिषद/नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास

प्रस्ताव लाने की सूचना श्री/श्रीमती/सुश्री..... .....

पार्षद, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... द्वारा प्राप्त हुई।

स्थान: नगर निगम का नगर आयुक्त/

तिथि: नगर परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी/

नगर पंचायत का कार्यपालक पदाधिकारी

का हस्ताक्षर व मुहर

(जो लागू न हो उसे काट दिया जाए)

प्रपत्र-2

(नियम 3(8) देखिए)

विषेश बैठक की सूचना

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री .....

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....

नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत .....

दिनांक .....को, समय..... बजे, स्थान ..... पर नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत ..... के उपमहापौर/उपाध्यक्ष के विरूद्ध पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान की तिथि, समय व स्थान निर्धारित किया गया है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

तिथि: .....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर व
मुहर
नगर निगम/नगर परिषद/नगर
पंचायत .....

(जो लागू न हो उसे काट दिया जाए)

प्रपत्र-3

(नियम 3(12) देखिए)

मतपत्र

सेवा में,

पीठासीन पदाधिकारी

मैं इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से संतुष्ट हूँ और अविश्वास प्रस्ताव पर अपना मत निम्न रूप से प्रकट करता/करती हूँ:

पक्ष (✓) का चिन्ह लगायें	विपक्ष (×) का चिन्ह लगायें

हस्ताक्षर

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 61—50+300 ।